



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

**वर्ष 2014 से 2017 तक आयोजित राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु
Renewal/Fresh आवेदन Online जमा करने का समय।**

विज्ञापित संख्या - 54/2018

वर्ष 2014 से 2017 तक आयोजित राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक तथा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा प्रदान की जाती है। इस हेतु लाभुकों को 12000/- रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा दिया जायेगा। प्रतिवर्ष Renewal करने वाले अध्ययनरत छात्रों को ही यह छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु National Scholarship Portal (<http://scholarship.gov.in>) पर छात्रवृत्ति को Renewal या नवीन (Fresh) आवेदन प्रपत्र (Claim Bill) Online जमा करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की प्रक्रिया निम्नवत् है:-

Exam Year	Project Year	Class	Scholarship
Nov. 2014	2015-16	XII	Renewal
Nov. 2015	2016-17	XI	Renewal
Nov. 2016	2017-18	X	Renewal
Nov. 2017	2018-19	IX	Fresh

Online आवेदन भरने की प्रक्रिया:-

- सर्वप्रथम आवेदक पोर्टल (<http://scholarship.gov.in>) में **New Registration Tab** पर वांछित जानकारी को प्रविष्टि करते हुए अपना पंजीयन करेंगे। पंजीयन के पश्चात् **Login to Apply** करते हुए वे आगे आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- ऑनलाईन आवेदन करते वकस आवेदक यह ध्यान रखेंगे कि वर्ग IX एवं X के छात्र Pre-Matric Option एवं वर्ग XI एवं XII के छात्र Post-Matric option चुनेंगे।
- Verification के लिए आवेदन विद्यालय प्राचार्य के Login में उपलब्ध होगा। प्राचार्य/प्राचार्या Online Login करते हुए आवेदन को भली-भाँति जाँच कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को Online अग्रसारित करेंगे।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी आवेदन को Online Verification करेंगे। सही भरे गये आवेदन को Forward तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन को Back करेंगे। Forward किया गया आवेदन नोडल पदाधिकारी के पास अग्रसारित तथा Back किया गया आवेदन त्रुटि सुधार हेतु विद्यालय के पास उपलब्ध होगा।
- बाधा रहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्रों को निदेश दिया जाता है कि वे सुविधानुसार अपने बैंक खाते को आधार से Seeding करा लें।
- सभी लाभुकों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु Online आवेदन प्रपत्र भरना अनिवार्य है। Online आवेदन प्रपत्र नहीं भरे जाने की स्थिति में छात्रवृत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति कोषांग के दरभाष संख्या-0651-2260335 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31.10.2018 है।

नोट:- NMMS Scheme के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् परीक्षा आयोजित कर सफल छात्र/छात्राओं की सूची भारत सरकार को उपलब्ध कराने वाली संस्था मात्र है। छात्रवृत्ति को Renewal या नवीन (Fresh) आवेदन प्रपत्र (Claim Bill) Online जमा करने की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-

(रजनीकान्त वर्मा)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/Sch/71/17/Secy/460/18
Dt. 13.08.2018
D.O.P : 14.08.2018

